

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक शीडर/2025/9597

दिनांक - 08.12.25

प्रार्थी
1 बाबूलाल पुत्र भीयाराम जाति
जाट निवासी निवासी बेरीवाला
गांव कुडल तसहील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 शेराराम पुत्र भीयाराम 2 चन्द्रप्रकाश पुत्र कालूराम 3
गोश्वामराम पुत्र भीयाराम 4 मेहराराम पुत्र जोधराम जाति
जाट निवासी बेरीवाला गांव कुडल तसहील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 219/2025

दिनांक- 28/11/2025

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण गौजा बेरीवालागांव पटवार हल्का कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर के खेत खसारा संख्या 897/18 रकबा 1.1674 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर शीमांकन व पत्थरगट्टी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपरिस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 08.12.25

क्रमांक :- शीडर/2025/9598-9601

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बाबूलाल पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी निवासी बेरीवाला गांव कुडल तसहील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण शेराराम पुत्र भीयाराम वगैरह जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुडल तसहील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

